ओ०पी० सिंह
आई०पी०एस०

अर्द्ध शा० परिपत्र सं०: डीजी- 04/2019

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1-तिलक मार्ग, लखनऊ ।

दिनांकः जनवरी 17, 2019

प्रिय महोदय,

हम सभी अवगत हैं कि पुलिस कार्मिकों की सेवा अन्य विभागों की अपेक्षा अधिक चुनौतीपूर्ण रहती है तथा वे अपने घरों से दूर रहकर विषम परिस्थितियों में जनमानस की सेवा में निरन्तर तत्पर रहते हैं। इसलिये हम सभी का यह दायित्व है कि पुलिस परिवार के सभी सदस्य आपस में सामन्जस्य एवं संवेदनशीलता बनाये रखें। इसके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि किसी भी राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारी एवं कर्मचारी के किसी प्रकार की ड्यूटी/कार्यवाही या दुर्घटना आदि में घायल होने, वीरगति प्राप्त होने, स्वाभाविक मृत्यु होने अथवा गम्भीर रूप से बीमार होने पर इसकी सूचना सम्बंधित जनपदीय पुलिस अधीक्षक/इकाई के प्रभारी अधिकारी द्वारा सर्वसम्बंधित को अग्रेतर कार्यवाही हेतु तत्काल प्रेषित की जाय। इस सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर कार्यवाही हेतु कोई स्पष्ट निर्देश उपलब्ध नहीं हैं ।

2- अतः किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के गम्भीर रूप से घायल अथवा बीमार हो जाने पर जनपद/इकाई प्रभारी से अब निम्न प्रकार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की जाती है :-

(1) किसी कार्मिक के गम्भीर रूप से घायल अथवा बीमार हो जाने पर इसकी सूचना विभागाध्यक्ष को तत्काल प्रेषित की जाय तथा उसे उपचार हेतु समुचित व्यवस्था कर उपयुक्त चिकित्सालय भेजवाने की व्यवस्था की जाय ।

(2) घायल अथवा बीमार होने की सूचना प्राप्त होने पर जनपद/इकाई प्रभारी अथवा उनके द्वारा नामित राजपत्रित अधिकारी उस कार्मिक से भेंट करने हेतु आवश्यकतानुसार कुछ फल, फूल आदि लेकर जायें। उस कार्मिक की कुशलक्षेम लेकर विभागीय संवेदनाओं से अवगत कराते हुये सहानुभूति प्रकट करें ।

(3) ऐसे कार्मिक को उपचार हेतु आर्थिक सहयोग की आवश्यकता हो तो तत्काल उपलब्ध करायी जाय। इसके लिये जीवन रक्षक निधि अथवा उपलब्ध किसी अन्य प्राइवेट फण्ड से अग्रिम स्वरूप व्यवस्था की जाय तथा इस धनराशि का समायोजन बाद में नियमानुसार कराया जाय ।

(4) ऐसे कार्मिक के साथ उसकी आवश्यकतानुसार मदद मरीज उपलब्ध कराया जाय।

(5) प्रायः ऐसे कार्मिकों को उपचार के दौरान रक्त की आवश्यकता होती है। इसके लिये भावनात्मक रूप से जुड़कर इच्छुक रक्तदाता कार्मिकों आदि को प्रोत्साहित कर रक्तदान कराया जाय ।

(6) नामित अधिकारी द्वारा नियमित रूप से ऐसे कार्मिकों के स्वास्थ्य के प्रगति की जानकारी रखी जाय और आवश्यकतानुसार अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाय ।

(7) यदि कोई कार्मिक अपने कार्यस्थल अथवा किसी भी स्थान पर अचानक दुर्घटनाग्रस्त अथवा अन्य किसी कारण से गम्भीर रूप से घायल या बीमार हो जाता है तो उस

Scanned by CamScanner

स्थान पर ड्यूटीरत पुलिस कार्मिकों द्वारा आवश्यक सहायता करते हुये तत्काल सम्बंधित थाना प्रभारी को सूचित किया जायेगा। थाना प्रभारी द्वारा तत्काल उपयुक्त चिकित्सा की समुचित व्यवस्था अपने पर्यवेक्षण में कराते हुये इसकी सूचना प्रभारी पुलिस अधीक्षक को दी जायेगी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने पर्यवेक्षण में कार्यवाही करायी जायेगी तथा इसकी सूचना कार्मिक के परिजनों व उसके नियुक्ति स्थान के प्रभारी अधिकारी को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी ।

3- किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का कर्तव्यपालन के दौरान अथवा अन्य कारणों से देहान्त हो जाने पर निम्न कार्यवाही की जाय :-

(1) किसी कार्मिक का घर पर अथवा प्रदेश के बाहर चिकित्साधीन रहने के दौरान देहान्त हो जाने पर परिवारीजनों अथवा अन्य किसी माध्यम से सूचना प्राप्त होते ही इसकी सूचना प्रत्येक दशा में विभागाध्यक्ष तथा सभी सम्बंधित अधिकारियों को 24 घंटे के अन्दर प्रेषित की जाय। राजपत्रित अधिकारियों के सम्बन्ध में इस प्रकार की सूचना सम्बंधित अधिकारियों सहित उ0प्र0 शासन को भी प्रेषित की जाय ।

(2) किसी कार्मिक का देहान्त होने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल अराजपत्रित कार्मिकों के सम्बन्ध में जनपद/इकाई प्रभारी द्वारा परिक्षेत्र/सेक्टर/जोन/विभागाध्यक्ष/पुलिस मुख्यालय प्रयागराज/अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना व इस मुख्यालय के नियन्त्रण कक्ष को सूचित किया जाय। राजपत्रित अधिकारियों के सम्बन्ध में इस प्रकार की सूचना जनपद/इकाई प्रभारी द्वारा इन अधिकारियों के अतिरिक्त अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन उ0प्र0 को भी प्रेषित की जाय। सेवानिवृत्त व सेवारत आईपीएस अधिकारियों के सम्बन्ध में इस प्रकार की सूचना इन अधिकारियों/कार्यालयों सहित अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक उ0प्र0 तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के जीएसओ को भी प्रेषित की जाय ।

(3) किसी कार्मिक का देहान्त होने पर विभागीय नियमों/प्रचलित परम्परानुसार पार्थिव शरीर को सम्मान प्रदर्शित किये जाने की कार्यवाही की जाय। इसके उपरान्त अन्तिम संस्कार की उचित व्यवस्था करायी जाय ।

(4) दिवंगत कर्मी के परिजनों द्वारा अन्तिम संस्कार हेतु पार्थिव शरीर को जिस स्थान पर ले जाने की इच्छा व्यक्त की जाय, उसे वहां तक ससम्मान पहुंचाने की अच्छी व निशुल्क व्यवस्था की जाय ।

4- किसी पुलिस कार्मिक के मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर शोकसभा के आयोजन की कार्यवाही निम्न प्रकार की जायेगी :-

(1) जनपदों में नियुक्त सभी राजपत्रित एवं अराजपत्रित कार्मिकों के सम्बन्ध में मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर जनपदीय पुलिस अधीक्षक द्वारा शोकसभा आयोजित की जायेगी ।

(2) प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयों में नियुक्त सभी राजपत्रित एवं अराजपत्रित कार्मिकों के सम्बन्ध में मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर सम्बंधित इकाई के विभागाध्यक्ष द्वारा शोकसभा के आयोजन हेतु अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करायी जायेगी ।

(3) सेवानिवृत्त व सेवारत आईपीएस अधिकारियों के सम्बन्ध में मृत्यु की सूचना एवं उनका जीवन परिचय अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक उ0प्र0 द्वारा पुलिस

Scanned by CamScanner

महानिदेशक के जीएसओ को उपलब्ध कराया जायेगा। जीएसओ द्वारा सूचना प्राप्ति के उपरान्त शोक सभा के आयोजन हेतु अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करायी जायेगी ।

(4) उपरोक्त के अतिरिक्त किसी विशेष घटना में किसी राजपत्रित अथवा अराजपत्रित कार्मिक का देहान्त होने पर इस मुख्यालय स्तर पर भी शोकसभा आयोजित किये जाने पर विचार किया जा सकता है। इसके लिये सम्बंधित जनपद/इकाई के प्रभारी अधिकारी द्वारा घटना का पूर्ण विवरण तत्काल पुलिस महानिदेशक के जीएसओ को उपलब्ध कराया जाय ।

(5) उपरोक्त आयोजित होने वाली सभी सभाओं में **शोक प्रस्ताव** पारित किया जायेगा। यह शोक प्रस्ताव मृतक कार्मिक के परिवार को उपयुक्त समय पर नामित अधिकारी द्वारा स्वयं जाकर प्रदान कर विभागीय संवेदनाओं से अवगत कराया जायेगा ।

5- कार्मिकों की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त उसके परिवार को तद्समय से ही प्रदान की जाने वाली सहायता हेतु तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाय। इन कार्यवाहियों के लिए प्रत्येक जनपद/इकाई स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित करते हुये उसे निर्देशित किया जाय कि वे मृत कार्मिक के समस्त अनुमन्य देयकों के भुगतान, मृतक के आश्रित के सेवायोजन आदि के सम्बन्ध में सभी सूचनायें समयबद्ध रूप से एकत्रित कराकर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करायें। अराजपत्रित कार्मिकों के सम्बन्ध में की जाने वाली इस प्रकार की कार्यवाही की सूचना अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना एवं पुलिस मुख्यालय प्रयागराज को यथासमय उपलब्ध करायी जाय। इसी प्रकार पीपीएस एवं अन्य राजपत्रित अधिकारियों से सम्बंधित सूचना अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन उ0प्र0 को तथा आईपीएस अधिकारियों से सम्बन्धित सूचना अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जाय ।

6- उपरोक्त सभी व्यवस्थाओं एवं कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में नियमित रूप से कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष स्तर पर समीक्षा की जायेगी ।

भवदीय,

17.1.19

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
<u>उत्तर प्रदेश</u> ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त कृत कार्यवाही का अनुश्रवण करने हेतु प्रेषित :-

1. अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक, उ0प्र0 ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन, उ0प्र0 ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना, उ0प्र0 ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज ।
5. पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, उ0प्र0 ।

Scanned by CamScanner